5 P.M.

ANNOUNCEMENT REGARDING ARREST AND RELEASE OF SHRI V. VENKA, MEMBER OF RAJYA SABHA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): I have to inform hon. Members that I have received the following message dated the 15th December, 1983 from the Superintendent of Police, Chengalpatu West Kancheepuram, regarding the arrest of Shri V. Venka, Member, Rajya Sabha:

"I have the honour to inform you that Thiru V. Venka, Member of the Rajya Sabha was taken into custody at 09.30 hours on 15-12-1983 at Chirapakkam Police Station under section 151 Cr. P.C. and was released at 2000 hours on the same day."

MESSAGE FROM THE LOK SABHA THE ILLEGAL MIGRANTS (DETERMINATION BY TRIBUNALS) BILL, 1983

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Bill, 1983, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 15th December, 1983."

Sir, I lay the Bill on the Table.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (TEMPORARY SUPERSESSION ORDINANCE, 1983 II. THE PUJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (TEMPORARY SUPERSESSION) AMENDMENT BILL, 1983

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Madam, I beg to move:

"That this House disapproves of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Ordinance, 1983 (Punjab Ordinance No. 4 of 1983) promulgated by the Governor of Punjab on the 11th October, 1983."

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे ये मंत्री महोदय गांधी विचारधारा के बहुत बड़े प्रहरी रहे हैं और हैं। सारे बिहार में और बिहार के बाहर जो लोग इनको जानते हैं, इनके व्यक्तित्व और निष्ठा से भली प्रकार परिचित हैं। ये गांधी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से साफ पूछना चाहता हूं कि क्या पंचायतों को भी आप आर्डिनेन्स से चलाएंगे ? क्या यह गांधी विचारधारा के अनुकूल है? क्या पंचायतों को भी आर्डिनेन्स से चलाया जाएगा, आप इसका जवाब दें। गांधी विचारधारा के संदर्भ में मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। गांधी जी विकेन्द्रीयकरण, डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात किया करते थे। लेकिन आप पंचायतों को भी आर्डिनेन्स से चलाना चाहते हैं। क्या पंजाब में पंचायतों के लिए भी आर्डिनेन्स जारी करना उपर्युक्त था ? यह मेरा पहला सवाल है और दूसरा सवाल यह है कि आप एक इन्क्वायरी कमीशन बैठाये। उसके हेड आप स्वयं बनें और व्यक्तिगत तौर पर जाकर पता लगायें कि क्या पंजाब में आर्डिनेन्स जारी होने के पहले इलेक्शन की सारी तैयारियां हो चुकी थी ? समितियों और परिषदों का चुनाव कराने की सभी तैयारी हो चुकी थीं। क्या यह बात सही है, इसका आप पता लगावें। क्या यह बात भी सही है कि कांग्रेस वालों ने प्रेशराइज किया क्योंकि गवर्नर ने दो दिन पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि परिषदों और समितियों के चुनाव होंगे ? उसके बाद गवर्नर की तरफ से आर्डिनेन्स जारी हुआ। क्या यह बात सही है कि कांग्रेस वालों ने गवर्नर को प्रेशराइज किया कि आर्डिनेन्स जारी करो ? आप इन बातो

की जांच करके इस सदन और देश को बतावें। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसको छः महीने और एक साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं। क्या आपको विश्वास है कि छः महीने या एक साल में पंजाब की स्थिति ठीक हो जाएगी, वहां की समस्या हल हो जाएगी ? क्या आपको इसको फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका भी आप जवाब दें। चौथी बात मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने सन् 1966 से अब तक 168 महीने हुकूमत चलाई है। इन 168 महीनों में 175 आर्डिनेन्स जारी किये गये हैं यानी अगर आप इसका एवरेज लगायें तो हर महीने में एक आर्डिनेन्स जारी किया गया है, इसलिए क्या आपकी सरकार "गवर्नमेन्ट आफ दी आर्डिनेन्स, बाई दी आर्डिनेन्स एण्ड फार दी आर्डिनेन्स" है ? आप जानते हैं कि सरकार "गवर्नमेन्ट आफ दी पीपुल्स, बाई दी पीपुल्स एण्ड फार दी पीपुल्स" होती है, लेकिन आपकी आर्डिनेन्स की सरकार है। क्या यह बात गांधी विचारधारा के अनुकूल है ? मैं मंत्री महोदय को गांधी विचारधारा का मानता हूं, उपसभाध्यक्ष महोदया, आपको नहीं मानता हूं। क्या आर्डिनेन्स जारी करना गांधी दर्शन और हमारे ढांचे के अनुकूल है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स से राज चलाना गांधी विचारधारा के और नैतिकता के प्रतिकूल है। इसलिए आप इसको विदड्रा कर लें। आखिरी सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि आर्डिनेन्स जारी नहीं होता तो क्या हमारे संविधान के मुताबिक कोई दूसरा रास्ता नहीं था ? वहां चुनाव के लिए सारी फिजा थी लेकिन कुछ कांग्रेस वालों ने, जैसे कि बिहार में उच्चके लोग हैं, मुख्य मंत्री और दूसरे लोगों पर दबाव डालते हैं, इसी तरह से पंजाब में भी कांग्रेस के लोग हैं। उन्होंने गवर्नर पर दबाव डाला और तब आर्डिनेन्स जारी हुआ। इसलिए यह बिल्कुल गांधी विचारधारा के खिलाफ है। हमारा संविधान, हमारे प्रजातंत्र के ढांचे के खिलाफ है और इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करता हूं और मैं आपसे एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक गांधी विचारधारा के प्रहरी के नाते आपसे इसका जवाब चाहता हूं। आप इस मामले की ठीक-ठीक जांच करके देश को बता दें कि यह बिल्कुल गलत बात है। यह गांधी और नेहरू विचारधारा के खिलाफ है। इन शब्दों के साथ मैं अपने रेजोल्यूशन को मूव करता हूं और इस आर्डिनेन्स का विरोध करता हूं तथा आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको विदड्रा कर लें।

The question was proposed

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARI NATH MISHRA): Madam Vice-Chairman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Act, 1978, be taken into consideration."

Before it is considered by this hon. House, I would like to make the position clear in what circumstances I am coming up with this Bill for its consideration.

As you know, the Panchayati Raj institution is a subject in the State List in the Seventh Schedule to the Constitution. It is the State Legislature which enacts the necessary laws for the establishment and functioning of the different tiers of the Panchayati Raj institution in the State. This is

[Shri Hari Nath Mishra]

what has taken place in Punjab too. Unfortunately in 1978, elections to the Panchayat Samitis and Zila Parishads could not be held after completion of the elections to the village panchayats on account of exceptionally difficult circumstances. The State Legislature had, therefore, to enact a law entitled the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Act, 1978 in order to supersede the then Panchayat Samiti and Zila Parishad. The one-year period of supersession originally provided for in this law had to be extended from time to time. In view of the fact that the State Government was examining the restructuring of the Panchayati Raj in the State several other contingencies also necessitated further postponement of these elections. The State Government was very keen to see all the Panchayati Raj system duly erected and taking a right-ful place in the rural society of Punjab. With that objective in view, the gram panchayat elections were conducted in September, 1983 on expiry of the 5-year term of the gram panches elected in August, 1978. It was expected that this would be followed by elections to the Panchayat Samitis and Zila Parishads, but in order to take the follow-up measure, it was necessary first to complete all the formalities associated with elections of the gram Panches. Thus, oaths-taking of Panches and Sarpanches as well as co-option of Panches had to be completed for every gram panchayat before effective measure for election to the Panchayat Samitis and Zila Parishads could be taken. As you know, under the principal law, 16 members for each Panchayat Samitis are to be elected from amongst the elected panches of the gram panchayats falling within the jurisdiction of the Samiti. Two members representing co-operative societies and one member representing marketing committees were also to be elected in order to constitute the Panchayat Samitis. These members could have elected from amongst themselves four representatives to the Zila Parishads from each Panchayat Samitis. One of these four members is to be from the Scheduled Castes. In addition, there is a provision for co-option of four women members and two members from the Backward Classes should the requisite number be not elected by the Panchayat Samiti.

According to the schedule drawn up by the Punjab Government, it was contemplated that all the formalities required for the holding of elections to the Panchayat Samitis would be completed by November 3, 1983. But since the period of supersession of the Panchayat Samitis and Zila Parishads was going to expire before the day, that is, 11th October, 1983 an Ordinance had to be promulgated to extend the period of supersession for another six months beginning from October 12, 1983. This period was intended to enable the State Government to complete the elections to the Panchayat Samitis and Zila Parishads.

I need not reiterate here the circumstances under which President's Rule had to be promulgated in the State, necessitating the supersession of the State Legislative Assembly. Therefore, an ordinance had to be promulgated by the Governor of Punjab with the approval of the Government of India extending the period of supersession of the Panchayat Samitis and Zila Parishads for a period of six months beyond October 11, 1983. Since the promulgation of the Ordinance, the formalities required to be observed for the election of Gram Panchayats have been completed. But it is considered that conditions in the State as obtaining now, may not permit a free and fair election to the Panchayat Samitis and Zila Parishads. We have therefore, been compelled to seek further extension of the period of supersession of the Panchayat Samitis and Zila Parishads for a period of six years beginning from 12th October, 1978. It is our earnest hope that conditions in the State would certainly come back to normal so as to enable the elected Panchayat bodies to come back to their own and function

normally. With these words, I commend the Bill for your sympathetic consideration.

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): The Resolution and the Motion are now open for discussion. Shri Debendra Nath Barman.

*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN (West Bengal): Madam Vice-Chairman, I shall speak in Bengali. The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Second Amendment Bill, 1983, is under discussion in the House today. In regard to this Bill, I would like to say that Panchayat system is a local self-Government institution. This institution enables the people to participate in the administration directly. It establishes direct link with the people. It also encourages local initiative. Through this institution, all Welfare and development activities, undertaken by the Government, are carried out with active cooperation of the people. But such an institution is being killed through this Bill as it reflects the intention of the Government to that effect.

Madam, during serious disturbances in the Punjab, elections for Panches and Sarpanches were held. Even during President's rule the dates of elections were announced. What special circumstances led to the cancellation of elections for the Panchayat Samitis and Zila Parishads later?

Madam, I shall tell you the real facts. During President's rule some Congress(I) Leaders put pressure upon the Governor to postpone the elections. The basic reason is that Congress(I) Ministers were not in power in the Punjab. Consequently, they were unable to exert their influence upon the rural population as they usually do at the time of elections. They apprehended that they would not be able to influence the voters through money power. So they expected that the verdict of the people would go against them. In order to avoid definite defeat in the elections, the Congress(I) leaders got the Panchayat elections postponed deliberately.

Madam, the present situation is not worse than the situation that developed in the Punjab at the time of imposition of President's rule there. So there was no necessity for the postponement of elections during the days of President's rule. What was the result of this postponement? All democratic activities in the rural areas of the Punjab ceased to exist. Democratic life would have eased the present troubled situation in that State. So the pretext under which the Government postponed the elections is not justified.

Who is actually responsible for the present situation in the Punjab? The present situation there is actually created by the ruling Congress(I) Party. If the Government had taken determined steps earlier to solve the problems of the Punjab, the present difficult situation there would not have arisen. The problems there would not have become complex if the Government had accepted all the genuine demands of the agitators.

Madam, it is the long tradition of the ruling Congress (I) Party to snatch away the democratic rights of the people by postponing elections to Panchayats. Through this Bill the ruling Congress (I) Party wants to maintain that tradition. I can cite the example of West Bengal. That State was under Congress rule for the last sixteen years and during that period no elections to Panchayats were held. What was the reason? The present situation in the Punjab did not prevail in West Bengal. What made the Government of West Bengal to suppress the Constitutional rights of the people? This Congress(I) Party is interested in depriving the people of their democratic rights. That is the experience we have about this party

*English translation of the original speech delivered in Bengali.

[Shri Debendra Nath Barman]

in West Bengal. If the people of West Bengal had not brought the left Parties to power, the Panchayat elections would not have taken place there till today.

The left Front Government held Panchayat elections timely in West Bengal. Consequently, the Panchayats are enjoying more Constitutional and financial powers with the blessings of the State Government. With Panchayats coming to power there, all schemes formulated by the State Government for the benefit of the rural population are being carried out by the Panchayats with active cooperation of the local people. The State Government has been able to establish links with the rural people through these bodies. The institution of Panchayat has inspired the rural people to take initiative in their own welfare. The people are developing fellow-feelings. All Governmental schemes for the benefit of the rural people are gaining success because of direct participation of the people in them.

Madam, democracy should be established in the Punjab in order to tackle the present situation there. Democratic rule will enhance cooperation among people. Government Schemes can be rightly implemented through mutual cooperation among people. But for want of democracy in the Punjab, Government has failed to generate goodwill and patriotism among people there.

The Congress(I) Party is in favour of maintaining the rule of a particular class. With this end view, they resort to exploitation of people by snatching away their democratic rights. They usually take shelter under such Black Acts as the present one in order to perpetuate their exploitation of the people. Since the present Bill is anti-democratic and anti-people, I cannot support it. I oppose this Bill tooth and nail.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब मैं विरोध कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि पंजाब की स्थिति आज सामान्य नहीं है। जो नोट आज ,प्रातः काल वितरित किया गया है, जिसमें कहा गया है ——reasons for fromulgation of Punjab Panchayat Samitis Ordinance.... और जब मंत्री महोदय ने भाषण दिया है, दोनों उनके इरादों को स्पष्ट करते हैं। इस नोट में कहा गया गया है—— The Act has been amended from time to time, last in 1983.

1978 के अंदर यह कानून बना। तो सुपरसेशन के लिए केवल एक साल की अवधि रखी गई थी। बार-बार, 1980 में सरकार पंजाब में कांग्रेस की आ गई, तो कई बार संशोधन किये गये हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1978 के बाद आपने इसमें कितनी बार संशोधन किये हैं और कितनी-कितनी देर, पीरियड के लिए ? इससे साफ हो जाएगा कि पंजाब की स्थिति जो इतनी बिगड़ी हुई है, यह इसका कारण नहीं है। लेकिन आज से डेढ़ या दो साल पहले तक भी आपने इसकी अवधि बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है, यह आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ?

दूसरे, जैसे मेरे सहयोगी मित्रों ने कहा कि पंचायत हमारे लोकतंत्र का मूल है। यदि आप मूल में ही लोकतंत्र नहीं चलने देंगे, तो ऊपर लोकतंत्र का चलना असम्भव है। विडम्बना यह है कि कंस्टीट्यूशनली, आज संविधान के अन्तर्गत अगर कोई विधान सभा भंग की जाती है, उसको भी साल भर के भीतर चुनाव कराना चाहिए। लेकिन

पंचायत जो नीचे का अंग है, उसका चुनाव आप यह छह साल तक न करायें, यह विडम्बना, विचित्र स्थिति है। ऊपर लोक सभा या विधान सभा भंग की जाए, उसके चुनाव एक साल के अंदर कराने पड़ेंगे, लेकिन पंचायत के चुनाव न कराना, छह साल के अंदर न करायें, तो यह बतायें कि यह संगत कैसे है ?

तीसरे मैं यह मानता हूं --अब यह समय आ गया है कि जब, हमारे जो लोकल बाडीज़ हैं, चाहे नगरपालिकायें हैं, नगर निगम हैं, या पंचायतें हैं, इनको केवल प्रदेश की सरकारों के रिहम्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये। एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं कि जहां कहीं चाहा पंचायत को, उन्होंने सुपरसीड कर दिया। नगरपालिकाओं की स्थिति यह है कि 15-15 साल तक चुनाव नहीं होते। इसलिए यह आवश्यक हो गया है है कि पंचायत से लेकर और नगरपालिकाओं तक, हर इकाई की एक संविधान--- यह जो कहते हैं इसकी स्वीकृति होनी चाहिये कंस्टीटयूशन के अंदर---जैसे प्रोवीजन है असेम्बलीज का या पालियामेंट का---उसी प्रकार से संविधान का संशोधन करके कंस्टीटयूशनली प्रोवीज़न इनके जीवन का किया जाना चाहिये, अन्यथा जो सरकार आती है---आपके दल की आती है या दूसरे दल की सरकार आती है, जो चाहे वह एक चेरी बना करके नगरपालिकाओं को, पंचायतों को रखना चाहती है।

जब भारत स्वतंत्र हुआ, सब से पहले हमने प्रयत्न किया, चाहे जय प्रकाश बाबू जी थे या गांधी जी, सब ने कहा कि पंचायत हमारे देश की विशेषता है और पंचायतें देश की स्वतंत्रता से पूर्व बड़े स्वतंत्र रीति से, यद्यपि उन्हें काननी तौर से कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन व्यवहार से मानते थे, इस कारण पंचायत गांव के मसलों को सुलझाने में, शांतिपूर्वक राज चलाने में एक बहुत बड़ा साधन थी। वे साधन तोड़ दिये हैं।

अब मैं पंजाब के विषय पर आता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि 980-81 के अंदर, 1981-82 तथा 1982-83 के अंदर भी पंजाब की स्थिति क्या थी ? आपने अभी कहा कि बड़ी खराब स्थिति है, इसलिए हम चुनाव नहीं करा सकते।

महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असम में क्या किया था आपने ? जो स्थिति आज पंजाब में है, उससे ज्यादा बदतर स्थिति असम में थी और आपने वहां असेम्बली के चुनाव कराये, क्योंकि आप कराना चाहते थे। आप ने बहाना लिया कि संवैधानिक आवश्यकता है जैसे आज आप संशोधन लाये हैं। विरोधी दल के नेताओं ने, आप को सहयोग का वादा किया कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे। आप ने नहीं किया। क्यों ? क्यों कि वहां आप चाहते थे कि आप की सरकार बने। आप ने सैकड़ों लोगों की हत्या की, लाखों लोगों के झूठे वोट डाले। आप ने वन परसेंट वोट प्राप्त करने के पश्चात् अपना राज्य स्थापित किया। पंजाब में आज आप 6 साल की अवधि के लिए सुपरसेशन कर रहे हैं क्यों कि पंजाब में शान्ति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन गवर्नर ने पहला आर्डिनेंस निकाला उस दिन क्या स्थिति थी ? जो आज स्थिति है उस से अच्छी थी। उस दिन क्यों नहीं चुनाव कराये। सितम्बर-अक्टूबर के एक महीने के भीतर क्या शपथ नहीं दिलायी जा सकती थी ? एक महीने के भीतर यदि आप नहीं दिलायी जा सकती, वहां चुनाव नहीं कराये जा सकते तो क्या आवश्यकता है ऐसी सरकार की। मैं कहूंगा, जैसा

[श्री जगदीश प्रशाद माथुर]

मेरे मित्रों ने कहा दरबारा सिंह की सरकार ही नहीं चाहती थी । उस के परिणाम देख लीजिए । कांग्रेस वहां पर लगभग समाप्त हो गयी थी विरोधी दल पंचायतों के अन्दर जीत कर आये थे । अगर आप बारह-पन्द्रह दिन और आर्डिनेन्स न लाते और चुनाव करा लेते तो शायद वहां पर पंचायतों पर विरोधी दलों का कब्जा होता । आप को डर यह था, इस लिए आप ने कांग्रेस (आई) के लोगों के कहने पर आर्डिनेन्स जारी करवाया । आप जानते हैं गवर्नर कौन हैं । यही बठते थे आप के बराबर में। अगर कोई स्वतन्त्र व्यक्ति होता--हम यह मानते हैं कि एलीगेशन गलत है, लेकिन जिन्दगी भर कांग्रेस (आई) में काम करने वाले यहां के मंत्रिमंडल के सदस्य गवर्नर बना दिये गये थे । जब यहां से फालतू हो गये तो वहां भेज दिया । उस के सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इस के कि कांग्रेस (आई) के लोगों का दवाब मान कर आर्डिनेन्स जारी कर दे । इस लिए ईमानदारी का आर्डिनेन्स नहीं था । ईमानदारी का तकाजा यह है कि आप चुनाव कराते । मेरा अनुमान यह है कि अगर पंचायतों के चुनाव हो जाते, जिला परिषद गठित हो जाती तो पंजाब की स्थिति इतना नहीं बिगड़ती ? क्यों नहीं बिगड़ता? पंजाब के अन्दर सिखों का अकालियों का बाहुल्य है ग्रामों में यह बात सच है । अगर उन की इच्छा राज्य करने की यो रोंदे तो उन के लोग जिम्मेदारी के साथ पंचायत में और जिला परिषद में बैठ जाते । आज वह आप का साथ देते । आज जो वहां के एक्स्ट्रीमिस्ट हैं वह गांव के अन्दर छिप सकते हैं । अगर पंजायत उन के साथ में होती तो वे लोग आप का साथ देते । मेरा आरोप यह है कि पंजाब में चनाव न कराने के लिए आप बहाना कर रहे हैं कि स्थिति ऐसी है । मेरा आरोप यह है कि पंजाब के अन्दर चुनाव न करा कर आप ने स्थिति को बिगाड़ा है ।

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश): आरोप निराधार है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह तो आप कहेंगे ही हुजूर । यह आरोप नहीं है तथ्य है । अगर आप ने चुनाव करा लिया होता तो आज की स्थिति जितनी बिगड़ती है उतनी न बिगड़ती । आप ने आर्डिनेन्स लागू कर दिया आप ने राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया । आज भी आप एक्स्ट्रीमिस्ट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं । कभी पांडे जी आप के गवनर कहते हैं कि विदेशों का हाथ है, कभी कहते हैं कि नहीं है । आज उन के एडवाइजर का नाम आया है उन्होंने कहा है कि विदेशों का हाथ है । समझ में नहीं आता क्या है । क्योंकि आप उलझन में हैं । राजनीतिक और अपने दल के झगड़ों के अन्दर फंसे हुए हैं ।

एक बात की ओर और मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब कभी केन्द्र की ओर से राज्य के लिए कानून बनाया जाता है तो आवश्यकता इस बात की होती है कि कन्सलटेटिव कमेटी बनायी जाय पार्लियामेंट के मेम्बर्स की । आप ने नहीं बनायी । आर्डिनेंस के पश्चात्, वहीं राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की एक स[illegible] दी जाती जो संविधान के अन्दर सामान्यतया आवश्यक है । मैं मानता हूं कि आर्टिकल 53 का सहारा ले कर आप कह सकते हैं कि हम ने सारे अधिकार नियम बनाने के राष्ट्रपति को

नहीं दिये हैं । बात सच है लेकिन उस पोजीशन और इस पोजीशन में अन्तर बहुत का है बारीकी बाल मात्र की है । जब वहां पर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढांचा समाप्त हो जाय और केन्द्र कानून बनाये इस में अन्तर थोड़ा सा हो है--राष्ट्रपति बनाता है या बहुमत दल बनाता है। पंजाब की स्थिति खराब थी आप खुद कह रहे हैं । क्या आवश्यकता नहीं थी कि आप कन्सलटेटिव कमेटी बनाते संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को लेते और बैठते फिर आप कानून लाते । आप ने एक भूल और की है । आज 6 साल के लिए आप सुपरसेशन कर रहे हैं । अगर आप ने 6 महीने में चुनाव करा दिये और 6 महीने के बाद आप ने देखा कि इस में आकालियों का बी० जे० पी० का विरोधी दल का बहुमत आ गया है तो 15 दिन के अन्दर फिर आप आर्डिनेंस जारी कर के 6 साल तक के लिए खत्म कर देंगे । दिज इज द पावर यू वांट । आप ढोंग करेंगे 6 महीने के बाद । क्या आप दिल पर हाथ रख कर सचाई से कह सकते हैं कि 6 महीने के अन्दर पंजाब की स्थिति सुधर जायेगी ? नहीं सुधरेगी ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) पीठासीन हुए]

आप जानते हैं । लेकिन आप के दिल में खोट है । आप हो सकता है कि आसाम की तरह से वहां भी खून बहा कर चुनाव करा दें । यदि उस में विरोधी दल जीत गया तो आप उन को सुपर सीड कर देंगे और 6 साल तक सुपर सीड किये रखेंगे । मगर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप ने ऐसा किया तो आज जो स्थिति है वह आप के काबू से बाहर है । वही स्थिति वैसा होने पर आप के सिर पर सवार हो जायेगी । जिन को आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं चाहे वे अकाली हों या उन के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ हो या उन के पीछे अमरीकन्स का हाथ हो वह भड़क उठेंगे । आपने एक गलती कर ली है । दूसरी गलती आप मत करियेगा कि 6 महीने तक आप चुनाव ही न करायें । चुनाव कराइये और ईमानदारी से कराइये और उन को जिन्दा रहने का अधिकार दिया जाय । अन्यथा पंजाब की स्थिति आसाम से बदतर हो जायगी । इतनी चेतावनी देने के बाद मैं इस का विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस को आप वापस लें और एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाइये और दोनों हाउसेज की वह हो और उस से सलाह कर के आप इस को लायें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Thank you. The Mover of the Resolution is not here. So the hon. Minister....

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : विरोधी दल का एक भी नेता यहां मौजूद नहीं है...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नेता तो आप का भी कोई नहीं है । आप का कोई भी कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर यहां है ?

एक माननीय सदस्य : कंसर्न्ड मिनिस्टर यहां हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : कंसर्न्ड मिनिस्टर तो यहां हैं । विरोधी दल के नेता सदन में हमेशा यह सवाल उठाते हैं कि सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन यह सदन इस बार जब से चल रहा है तब से आप देख रहे हैं कि विरोधी दल की बेंच हमेशा खाली रहती है । केवल

[श्री कल्प नाथ राय]

एक दो आदमी वहां रहते हैं। तो कृपा कर इस बात का आप ध्यान रखें ताकि निर्णय लेने में भविष्य में आप को सहूलियत हो।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह आरोप बिल्कुल निराधार है। नेताओं का जहां तक सवाल है यहां का हर मेम्बर एक जिम्मेदार सदस्य है। अगर आप फ्रंट बेंचेज की बात कहना चाहते हैं तो आप को फ्रंट बेंचेज भी खाली है...

श्री कल्पनाथ राय : आप चश्मा लगा कर देखें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let us leave at that the controversy. It is true, as I have the experience in the House, that we have carried on, I think, with one or two Members from this side and one or two from that side and more persons in the gallery. But I hope it is the duty of Members to see......

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप का क्या सुझाव है ? क्या मैं कोरम के सवाल को यहां खड़ा कर दूं। कोरम का सवाल आयेगा तो आप का यह बिल रह जायगा। मैं आफिशियली कोरम का सवाल खड़ा करूंगा और आप का यह बिल रुक जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि यह बात कह कर आप मुसीबत मोल ले रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Will you kindly help yourself to sitting? I am not speaking of the Opposition or the ruling party. More Members should attend the House. It is the responsibility of every Member. The hon. Minister is to reply.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अपोजीशन आप को कोआपरेट कर रहा है. लेकिन कोरम का सवाल खड़ा होने से आप को मुश्किल हो जायगी।

श्री कल्पनाथ राय : मैंने यह नहीं कहा कि अपोजीशन कोआपरेट नहीं कर रहा है। मैंने सिर्फ यह बात कही है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सदन के कार्यकाल बढ़ाये जाने की बात विरोधी दल के नेता बराबर कहते रहते हैं लेकिन सदन में विरोधी दल ही उपस्थित नहीं रहता है। *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mathurji, do not co-operate to the extent that none of you remains present and let the get things passed. At least draw a line. The hon. Minister. Let us hear him.

SHRI HARI NATH MISHRA: Sir, I had been listening to the speeches of three of my friends from the Opposition with utmost care. In view of the statement already made by me, I feel that probably they were not as attentive in listening to my statement as they should have been or could have been. Now, Sir, may I know from my hon. friends whether, in the year 1978 when this move for supersession of the then existing panchayat samitis and zila parishads was made, the Congress(I) was in power or the Akali and the Janata Party combine? Who moved for the supersession? *(Interruptions)*

I did not interfere. Kindly.

Is it not a fact that in August, 1978, elections to the gram panchayats were held by the then State Government which was ' ' a Congress Government? But subsequently they somehow stopped the process. I did not impute any motive in my statement or

otherwise because they might have their own ideas, and in fact the wearer knows where the shoe pinches. We sitting here should not sit in judgement over what the State Government does, who time and again wanted supersession.

Now I have been asked: The Congress Government came to power in 1980. Since then why have we not been moving for election to the gram panchayats? The simple answer is that the gram panchayat elections were held in August, 1978 for five years. And the term of five years has lapsed in August, 1983. In September the then Darbara Singh Government moved for election, and in fact the processes for the gram panchayat elections are complete. In fact, to be fair also to the present President's rule headed by Shri B. D. Pande, well, co-option of members, oath-taking etc. have been completed. Now only so far as the formulation of the panchayat samitis and the zila parishads are concerned, which involve election from the electoral colleges and co-option of members, well, these are creating some troubles. And considering the situation in Punjab as it is, the Governor in the Council has asked the Union Government for extension of the period for one year. It does not mean six years. The utmost period is till some time in October, 1984. Now already we are in December, 1983. But even during President's rule, if the State Government over there, headed by the Governor, Shri B. D. Pande and his advisers, thinks that normalcy has returned, there is no bar absolutely in running the whole gamut and in putting on a sound footing and running these grassfoot parliamentary democratic institutions. There is absolutely no bar. If, as we all want, an elected Government, popular Government, is returned, well, it would be free to complete the process and to have the Gram Panchayats, the Panchayat Samitis and the Zila Parishads running on a sound footing and running the whole show. We also consider that the Panchayat Raj institution are, in fact, the basic parliamentary institutions at the ground level and we would be the happiest persons, probably happier than Opposition Members, to see them run on a sound footing. That is all. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I shall first put the Resolution to vote. The question is:

"That this House disapproves of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Ordinance, 1983 (Punjab Ordinance No. 4 of 1983) promulgated by the Governor of Punjab on the 11th October, 1983."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I shall put the Motion moved by the hon. Minister to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Act, 1978, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the the Title were added to the Bill.

SHRI HARI NATH MISHRA: Sir I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The House stands adjourned to reassemble at 11 o'clock on Monday.

The House then adjourned at forty-three minutes past five of the clock, till eleven of the clock, on Monday, the 19th December, 1983.